जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : :www.brlp.in

पत्रांक :-BRLPS/Proj/616/14/ 1618 दिनांक:- 03.09.2015

कार्यालय आदेश

किसान प्रशिक्षण एवं सूचना केन्द्र के लिए कार्यकारी दिशा निर्देश

1. परिचय

जीविका परियोजना अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह के वैसे सदस्य जो कृषि संबन्धित गतिविधियों से जुड़े हैं उनको कृषि से संबंन्धित तकनीक एवं उनकी कृषि से संबन्धित समस्याओं के निदान हेतु किसान प्रशिक्षण एवं सूचना केन्द्र (FTIC) की स्थापना की जाएगी । यह केन्द्र संकुल स्तरीय संघ के स्तर पर संचालित होगी एवं इससे जुड़े SEW, VRP एवं सदस्यों को प्रशिक्षण एवं सूचना प्रदान करेगी । इस केन्द्र में प्रशिक्षण एवं सूचना हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित किए जाएंगे जिसका संचालन संकुल स्तरीय संघ द्वारा निर्देशित कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा ।

2. उद्देश्य

किसान प्रशिक्षण एवं सूचना केन्द्र का मुख्य उद्देश्य कृषकों को समय पर जरुरी सूचनाएं उपलब्ध करवाना तथा कृषि से संबंधित उचित सलाह प्रदान करना है । जिसमें क्षेत्रिय भाषा में किसानों को पूर्व में रिकॉर्ड किए गए आवाज एवं SMS के द्वारा किसानों को संबंधित जानकारीयां मोबाईल पर उपलब्ध करवाई जा सकेंगी । इसके अलावा सहयोगी संस्थाओं जैसे कृषि विज्ञान केन्द्र, संबंधित विभाग एवं वेवसाइट के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा सकेगा ।

3. स्थापना के महत्वपूर्ण चरण

अ. जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण : जिला परियोजना समन्वयन ईकाई के द्वारा सभी प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन ईकाई के प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं आजीविका विशेषज्ञों को इस केन्द्र के बारे में जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा जिसमें केन्द्र के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी जाएगी । इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने की जिम्मेवारी प्रबंधक आजीविका (कृषि) की होगी । इसी प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा जिसकी जिम्मेवारी आजीविका विशेषज्ञ की होगी ।

ब. संकुल स्तरीय संघ में चर्चा एवं चयन : संकुल स्तरीय संघ में आजीविका विशेषज्ञ एवं संबंधित क्षेत्रिय समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक केन्द्र की जरुरत के बारे में चर्चा करेंगे एवं सर्व सम्मति से निर्णय होने के उपरांत संबंधित आवेदन तैयार कर प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन ईकाई में जमा करेंगे । प्रखंड परियोजना प्रबंधक इस आवेदन को अनुमोदन हेतु जिला परियोजना समन्वयन ईकाई को प्रेषित करेंगे ।

4. क्रियान्वयन एवं प्रबंधन :

अ. केन्द्र हेतु स्थल का चुनाव : किसान प्रशिक्षण एवं सूचना केन्द्र की स्थापना संकुल स्तरीय संघ के कार्यालय या इसके आसपास किसी समुचित भवन में किया जा सकता है । भवन के चुनाव में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है :

(i) भवन में कम से कम 35 से 40 लोगों के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके । केन्द्र हेतु कम से कम 600 वर्ग फीट का कमरा या हॉल उपयुक्त होगा ।

(ii) स्थान सुरक्षित हो जहॉ चोरी की कम सम्भावना हो ।

(iii) केन्द्र स्थल तक गाड़ीयों के आने जाने का समुचित रास्ता हो ।

ब. केन्द्र में यंत्रों का परिचालन : संकुल स्तरीय संघ केन्द्र में यंत्रों के परिचालन हेतु श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले SEW को यह जिम्मेदारी दे सकता है, यंत्र का संचालक यदि स्नातक या इससे अधिक पढ़ा हो तो उसे प्राथमिकता दी जा सकती है । यंत्र संचालक को इस कार्य हेतु अतिरिक्त मानदेय दिया जा सकता है ।

स. केन्द्र का संचालन : किसान प्रशिक्षण एवं सूचना केन्द्र संकुल स्तरीय संघ अंतर्गत एक व्यावसायिक केन्द्र के रुप में कार्य करेगा अतः इसके संचालन हेतु योजना निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है :

(i) संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत कुल VRP की कितनी संख्या है एवं इनके प्रशिक्षण हेतु केन्द्र का उपयोग कितने दिनों के लिए किया जा सकता है । **प्रशिक्षण की आवश्यकता हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर बनाना आवश्यक है, एवं इस प्रशिक्षण कैलेण्डर की जानकारी केन्द्र पर भी प्रदर्शित की जानी चाहिए । प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने की जिम्मेवारी राज्य स्तरीय आजीविका कृषि टीम, प्रबंधक आजीविका एवं आजीविका विशेषज्ञ की सम्मिलित रुप से होगी ।**

(ii) केन्द्र की जानकारी कृषि एवं संबन्धित विभाग जैसे आत्मा, उद्यानिकी आदि को दी जा सकती हैं ताकि वे भी स्थान को विभागिय प्रशिक्षण हेतु उपयोग करें एवं उनसे प्राप्त किराये की राशि से केन्द्र की आमदनी हो सके ।

(iii) बीज एवं दवा कम्पनियां भी क्षेत्रों में समय – समय पर प्रषिक्षण आयोजित करवाती हैं उनसे संपर्क करने से भी केन्द्र को उपयोग व्यावसायिक रुप में हो सकता है ।

द. केन्द्र स्तर पर रखी जाने वाली पंजियां : केन्द्र स्तर पर निम्नलिखित पंजियों का संधारण करना आवश्यक है : किसान प्रशिक्षण एवं सूचना केन्द्र संकुल स्तरीय संघ अंतर्गत एक व्यावसायिक केन्द्र के रुप में कार्य करेगा अतः इसके संचालन हेतु योजना निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है :

(i) **प्रशिक्षण पंजी :** इस पंजी में केन्द्र में होने वाले सभी प्रशिक्षण का विवरण एवं इसमें भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी दर्ज की जाएगी ।

(ii) **आगंतुक पंजी :** इस पंजी में केन्द्र पर आने वाले आगंतुकों की जानकारी एवं उनके मन्तव्य की जानकारी रखी जाएगी ।

(iii) **स्टॉक पंजी :** इस पंजी में केन्द्र में रखे गए सामग्रीयों की जानकारी रहेगी ।

(iv) **प्रश्नोत्तर पंजी :** इस पंजी में प्रशिक्षण के दौरान पूछे गए सवालों का विवरण रखा जाएगा । इन सवालों के आधार पर विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकता है ।

संकुल स्तरीय संघ को क्रियान्वयन एवं प्रबंधन में सहयोग की जिम्मेवारी प्रबंधक आजीविका एवं संबन्धित आजीविका विशेषज्ञ की होगी ।

5. निधि एवं इसका प्रबंधन :

अ. संकुल स्तरीय संघ द्वारा राशि की मांग : संकुल स्तरीय संघ में चर्चा एवं निर्णय के उपरांत राशि की मांग हेतू आवेदन प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन ईकाई को प्रस्तुत करेगा । प्रखंड स्तर पर लोन कमीटि में पारित होने के उपरांत यह जिला कार्यालय को अनुमोदन एवं निधि हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत होगा । जिला कार्यालय प्राप्त आवेदन को प्रबंधक आजीविका कृषि एवं जिला परियोजना पदाधिकारी के मन्तव्य के आधार पर राशि का हस्तांतरण संकुल संघ में किया जाएगा ।

ब. आवश्यक यंत्र एवं सामग्रियों का क्रय : केन्द्र में रखे जाने वाले यंत्रों एवं सामग्रियों की सूची मार्गदर्शिका में वर्णित हैं इनमें से कुछ यंत्र राज्य स्तरीय कार्यालय से उपलब्ध कराए जाएंगे अन्य यंत्रों एवं सामग्रियों का क्रय संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से सामुदायिक प्रोक्योरमेन्ट नियमावली के आधार पर की जाएगी ।

स. किराया दर का निर्धारण : केन्द्र के उपयोग हेतु इससे जुड़े उत्पादक समूह / ग्राम संगठनों से 1000 रुपये प्रतिवर्ष रिसोर्स फीस के रुप में लिया जा सकता है । इसके अलावा जीविका परियोजना द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षणों हेतु प्रतिदिन 1000 रुपये एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन 2000 रुपये किराये के रुप में रखा जा सकता है । संकुल स्तरीय संघ इस राशि का उपयोग SEW / संचालक को भुगतान एवं केन्द्र की साफ - सफाई एवं प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है।

6. अनुश्रवण एवं मूल्यांकण :

किसान प्रशिक्षण एवं सूचना केन्द्र का सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकण चार स्तरों पर किया जाएगा जो संकुल, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा ।

अ. संकुल स्तरीय संघ स्तर : इस स्तर पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकण का कार्य संकुल स्तरीय संघ की आजीविका सब कमिटी के द्वारा किया जाएगा । अनुश्रवण के दौरान केन्द्र में प्रशिक्षण कैनेण्डर पर अनुपालन एवं प्राप्त किराये की राशि विषय पर समीक्षा की जाएगी । इसके अलावा संकुल स्तरीय संघ की मासिक बैठक में केन्द्र के आय - व्यय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी ।

ब. प्रखंड स्तर पर : इस स्तर पर आजीविका विशेषज्ञ एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा केन्द्र से संबंधित व्यावसायिक एवं उपयोग से सम्बंधित रिर्पोट जिला कार्यालय को प्रति माह भेजना सुनिश्चित करेंगे । इसके अलावा केन्द्र में अन्य संस्थानों यथा कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, आत्मा एवं प्राईवेट कृषि सामग्रियों की कंपनीयों से प्रशिक्षण के आयोजन हेतु सामन्जस्य में सहयोग देंगे ।

द. जिला स्तर : जिला स्तर पर प्रबंधक आजीविका कृषि जिला परियोजना प्रबंधक के दिशा निर्देश में जिले में चल रहे सभी केन्द्रों से संबंधित रिपोर्ट को एकीकृत करेंगें । रिपोर्ट की समीक्षा के उपरांत इसके सुधार हेतु वे भी केन्द्र मे आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे साथ ही एकीकृत रिपोर्ट राज्य परियोजना ईकाई को प्रेषित करेगे । इसके अलावा केन्द्र में अन्य संस्थानों यथा कृषि विभाग, उद्याानिकी विभाग, आत्मा एवं प्राईवेट कृषि सामग्रियों की कंपनीयों से प्रशिक्षण के आयोजन हेतु सामन्जस्य में सहयोग देंगे ।

ह. राज्य स्तर : इस स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधक राज्य में चल रहे सभी केन्द्रों के रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

3/9/15

(डॉ० एन० विजयलक्ष्मी)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक।

प्रतिलिपि :-

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक / वित्त प्रबंधक / प्रबंधक-लाईवलीहुड्स / प्रखंड परियोजना प्रबंधक
2. सभी प्रोग्राम कॉर्डिनेटर / राज्य परियोजना प्रबंधक / परियोजना प्रबंधक / राज्य वित्त प्रबंधक
3. निदेशक / विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रशासी पदाधिकारी / मुख्य वित्त पदाधिकारी / वित्त पदाधिकारी
4. आई.टी. सेक्शन